भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1255**

03 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

**विषय: सुपारी की खेती पर नमी की मात्रा का प्रभाव**

1255. श्री बी. वाई. राघवेन्द्रः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सुपारी की खेती की व्यवहार्यता और लाभकारिता संदर्भ में, विशेषकर कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की 7 प्रतिशत की अधिकतम नमी की अनिवार्यता की समीक्षा की है जहां जलवायु और प्राकृतिक रूप से सुखाने की प्रक्रिया के कारण इसका अनुपालन चुनौतीपूर्ण है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सुपारी में प्राकृतिक नमी की विविधताओं के साथ बेहतर तालमेल बिठाने और नमी बनाए रखने पर मौसम और भंडारण स्थितियों के प्रभाव पर विचार करने के लिए इस सीमा का पुनः मूल्यांकन करने का विचार रखती है;

(ग) क्या 7 प्रतिशत नमी की सीमा के निहितार्थों के संबंध में कृषि विशेषज्ञों, किसान प्रतिनिधियों अथवा उद्योग हितधारकों के साथ कोई परामर्श किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने नमी की मात्रा की आवश्यकता को और अधिक व्यवहार्य मानक तक संशोधित करने पर विचार किया है जिससे सुपारी के किसानों पर वित्तीय दबाव कम होगा और यदि हां, तो इस संशोधन के लिए प्रस्तावित समय-सीमा क्या है; और

(ङ) सरकार सुपारी की गुणवत्ता, जो खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों को पूरा करते हुए किसानों के हितों की रक्षा करे, के लिए उचित मानक सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठा रही है?

**उत्तर**

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) ने सुपारी के लिए 7% अधिकतम नमी की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए कोई प्रभाव मूल्यांकन नहीं किया है। हालाँकि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) - केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान

संस्थान (सी.पी.सी.आर.आई.), कासरगोड ने विभिन्न स्थानों से एकत्र किए गए सुपारी के नमूनों (सैंपल्स) का मूल्यांकन किया था जिनका विश्लेषण सुपारी में नमी और जल गतिविधि (वॉटर ऐक्टिविटी) के लिए किया गया था। शुष्क परिस्थितियों में सुपारी के भंडारण के लिए 11% की नमी (मॉइस्चर कॉन्टेन्ट) और 7.1 की संगत जल गतिविधि को उचित रूप से सुरक्षित पाया गया।

(ग): विभिन्न शोध संस्थानों के विशेषज्ञों वाले एफ.एस.एस.ए.आई. के वैज्ञानिक पैनल ने इस मामले पर तकनीकी विचार-विमर्श किया है। इसके अतिरिक्त, आई.सी.ए.आर.-सी.पी.सी.आर.आई., कासरगोड, केरल और सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय (डी.ए.एस.डी.), कालीकट, केरल ने भी कृषि विशेषज्ञों, किसान प्रतिनिधियों और इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्श बैठकें की हैं।

(घ) और (ङ): वर्तमान में, एफ.एस.एस.ए.आई. के पास ऐसा कोई संशोधन विचाराधीन नहीं है।

*****